उत्तराखण्ड शासन
मुख्य सचिव
संख्या–1213/का॰257/ग्रा0अ0से0/2011
देहरादून : दिनांक 29 सितम्बर–2011

आयुक्त,
गढवाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

इस कार्यालय के पत्रांक 19/नि0स0/स्टा0अफ0–मु0स0/2011 दिनांक 7 जनवरी, 2011 के द्वारा विभिन्न निर्माण अभिकरणों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्मित/सृजित परिसम्पत्तियों के हस्तानान्तरण के विषय में निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद भी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि भवनों में छोटी–मोटी कमियों को आधार बनाकर हस्तानान्तरण की कार्यवाही यथा समय नही की जा रही है, यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। इस सम्बन्ध में पुनः निर्णय लिया जाता है कि यदि निर्माण कार्य/निर्मित भवन में छोटी–मोटी आपत्तियां/कमियां दृष्टिगोचर होती है तो सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा उन कमियों को हस्तानान्तरण प्रपत्र में इंगित कर निर्माण कार्य को अधिगृहीत कर लिया जायं। कार्यदायी संस्था उक्त कमियों को एक माह के अन्तर्गत ठीक कराकर सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को अवगत करायेगा।

इसके अतिरिक्त यदि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा हस्तान्तरण प्रपत्र प्राप्त होने के तीन माह के अन्तर्गत हस्तान्तरण प्रपत्र सम्बन्धित निर्माण विभाग को प्रेषित नही किये जाते है तो उस निर्माण कार्य को हस्तानान्तरित समझा जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने के लियें अपने समस्त विभागाध्यक्षों/जनपदीय/क्षेत्रीय अधिकारियों को कडे निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित।

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।